

Govt. of Madhya Pradesh Forest Department
Application Form for Identity Card of Retired IFS/SFS Officers

Affix recent PP
Size Coloured
photograph

(Please read
Photograph
Instructions)

Full Name :

Father's Name :

Address :

.....

Mobile No Emergency No.....

Blood Group :

Date of Birth :

Date of superannuation/ retirement :

Pay Scale on Retirement :

Post held on Retirement :

Last pay :

P.P.O. No :

Specimen Signature :

फोटोग्राफ हेतु निर्देश

1. फोटो में सामने की तरफ से पूरा चेहरा, दोनों कंधे एवं दोनों कान दृष्टिगोचर होना चाहिए। चेहरा फोटो के बीचोंबीच होना आवश्यक है। फोटो में चेहरे के भाव साफ-साफ दिखाई देना चाहिए।
2. फोटो में सिर झुका हुआ, मुड़ा हुआ या दायें अथवा बायें तरफ घूमा नहीं होना चाहिए। फोटो के लगभग 50 प्रतिशत भाग में चेहरे का हिस्सा होना चाहिए।
3. व्यक्ति की फोटो वर्दी में, बिना पगड़ी अथवा टोपी के (जब तक कि धार्मिक मान्यता हेतु आवश्यक न हो) एवं चेहरे के साधारण भाव में होनी चाहिए, मुह बंद, आंखें खुली हुई तथा सामने की ओर देखते हुए ही होना चाहिए।
4. व्यक्ति यदि नियमित रूप से चश्मा पहनता हो तो फोटो चश्मे में ही होना चाहिए परन्तु ध्यान देते कि फोटो में चश्मे पर फोकस न पड़े। यदि चश्मा कभी-कभी ही लगता हो तो फोटो बिना चश्मे के ही होना चाहिए।
5. चिकित्सक के परामर्श के बिना शौकिया तौर पर लगाये गये गहरे रंग अथवा धूप-छांव वाले लेंस के चश्मे स्वीकार्य नहीं होंगे।
6. कैमरा व्यक्ति की आंखों के बराबर ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए।
7. फोटो रंगीन एवं 3.5 x 4.5 से.मी. साईज की ही होनी चाहिए। व्यक्ति के सिर का भाग फोटो के ऊपरी बार्डर के ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए।
8. फोटो 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
9. बैकग्राउण्ड सादा, हल्के रंग (सफेद नहीं) का होना चाहिए। बैकग्राउण्ड व्यक्ति के कपड़ों के रंग से मिलता नहीं होना चाहिए।
10. फोटो में छाया न दिखे इस हेतु मध्यम प्रकाश का उपयोग करें। चेहरे पर या पीछे बैकग्राउण्ड में छाया या अन्य प्रकाश को दूर करने हेतु चेहरे के दोनों तरफ से प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।
11. प्रकाश की अधिकता अथवा अल्पता फोटोग्राफ हेतु अनुपयोगी होगी।
12. फोटो के ऊपर न तो हस्ताक्षर हो और न ही स्टेपल किया जाना चाहिए। फोटो निर्धारित बाक्स में ही चिपका होना चाहिए।